मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान देश के भीतर मिशन पद्धति से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति करने के उद्देश्य से भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासनों की भागीदारी से शुरू किए गये एसएसए कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान की जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका में कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति निम्नवत् वर्णित की गई है।

पैरा 21– अध्यापकों की नियुक्ति–

21.1 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए एसएसए, प्रारम्भिक शिक्षा पर 1999–2000 स्तर पर पहले से ही किए जा रहे व्यय के अलावा हैं।

21.2 नए स्कूल खोलनें के लिए नए अध्यापक तथा मौजूदा स्कूलों के लिए अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए जाते है।

21.3 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम 2 और नये उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए कम से कम 3 अध्यापक नियुक्त किए जाँय बशर्ते पुनर्तैनाती के जरिए ऐसे अध्यापक उपलब्ध न हो। इस तरह की नियुक्ति एक अध्यापक के लिए प्रति कक्षा की दर से की जानी चाहिए।

21.4 उच्च प्राथमिक शिक्षकों की अधिकतम संख्या उच्च प्राथमिक सेक्शनों की संख्या पर निर्भर करेगी और उसका आधार प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक का प्रावधान नहीं होगा।

21.5 अतिरिक्त अध्यापकों का वेतन एस0एस0ए0 के अधीन केवल उसी स्थिति में वहन किया जायेगा जब पूरे जिले के लिए पी0टी0आर0 1:40 से उच्चतर हो। तथापि कुछ राज्यों में ऐसे एकल अध्यापक स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या 40 से कम है, जिनमें एस0एस0ए0 के मानदण्डों के अनुसार 2 अध्यापक उपलब्ध करायें जाने चाहिए और ऐसे मामलों में 1:40 का पी0टी0आर0 लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में मौजूदा अध्यापकों और अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापकों के स्कूलवार आंकड़े प्रस्तुत किए जानें चाहिए।

21.6 यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पी0टी0आर0 की गणना प्रत्येक जिले में छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की स्वीकृत संख्या के आधार पर की जाय।

21.7 छात्रों के नामांकन, अध्यापकों की कुल मांग, अध्यापकों की स्वीकृत संख्या, अध्यापकों की अतिरिक्त मांग और पी0टी0आर0 सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

21.8 अध्यापकों की भर्ती और भर्ती किए गये नये अध्यापकों को वेतन के भुगतान के राज्यो के स्वयं अपने मानदण्ड हैं। राज्यों को उस सीमा तक अपने मानदण्डों का अनुपालन करने की छूट होगी जिस तक वे राअशिप द्वारा निर्धारित मानदण्डों से मेल खाते हों।

21.9 भर्ती किए गए नए अध्यापकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

21.10 अध्यापकों की स्वीकृत संख्या में धीरे–धीरे आयी कमी के कारण उत्पन्न होनें वाली रिक्तियां भरने के लिए कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

22— स्कूल/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा

22.1 नये प्राथमिक स्कूल केवल ऐसे क्षेत्रों में खोले जाएगे जहां बस्ती के 1 कि0मी0की दूरी के भीतर कोई स्कूल नहीं है।

22.2 प्राथमिक स्तर पर ई0जी0एस0 केन्द्र ऐसी असेवित बस्तियों में खोले जाएंगे जहां 01 कि0मी0की परिधि के भीतर कोई स्कूल नहीं है और 6–14 आयु वर्ग के कम से कम ऐसे 15 बच्चे मौजूद हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं। असाधारण मामलों में अर्थात दूरस्थ क्षेत्रों में ई0जी0एस0 स्कूलों को योजना के समग्र लागत मानदण्डो के भीतर यहां तक कि 10 बच्चों के लिए भी समर्थन दिया जा सकता है।

23— उच्च प्राथमिक स्कूल/क्षेत्र

23.1 नये उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए प्राथमिक स्नातकों की संख्या, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ने वाले बच्चों के अनुपात और प्राथमिक स्कूलों की संख्या–सभी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

23.2 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए 2:1 का अनुपात बनाए रखा जाए तथा नए यूपीएस में दाखिले के लिए प्राथमिक स्नातकों की उपयुक्त संख्या उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए उच्च प्राथमिक सैक्शनों से युक्त सहायताप्राप्त स्कूलों और माध्यमिक/हाईस्कूलों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाय।

24— क्लासरूम

24.1 अतिरिक्त क्लासरूमों की मांग के लिए अध्यापकों, कक्षा/ग्रेड और मौजूदा क्लास रूमों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

24.2 उच्च प्राथमिक स्तर में मुख्य अध्यापक के लिए कमरे की मांग के समर्थन में क्लासरूमों की मौजूदा संख्या, उच्च प्राथमिक स्कूलों में मुख्य अध्यापक के मौजूदा कमरों की संख्या तथा अध्यापकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

24.3 अतिरिक्त क्लासरूमों की गणना करने के प्रयोजन से मुख्या अध्यापक को भी एक अध्यापक के रूप में समझा जाएगा।

25— निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

25.1 (i) सरकारी स्कूलों,

(ii) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, छावनी/निगम स्कूलों, सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़नें वाले ध्यातव्य समूहों अर्थात बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएगी बशर्ते कि

(क) इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो,

(ख) ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों,

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए,

(घ) अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए,

(ड) स्कूलों में पढाये जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए।(मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्या का पालन किया जाना चाहिए)

25.2 बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में रू0 150/— प्रति बच्चे की ऊपरी सीमा मात्र एक सांकेतिक सीमा है।

25.3 पाठ्य पुस्तक विकास, मुद्रण, ढुलाई आदि का प्रभार भी पाठ्य पुस्तकों की लागत में जोड़ा जायेगा वशर्ते कि यह राशि रू0 150/— प्रति बच्चे की ऊपरी सीमा से बढ़ न जाय।

25.4 ध्यातव्य समूहों के बच्चों के लिए कार्यपुस्तिकाएं पाठ्यचर्या आपूर्ति का अभिन्न अंग है और उन्हें पाठ्यपुस्तकों का अंग समझा जाता है। ध्यातव्य समूहों के बच्चों को रू0 150/— प्रति बच्चे की समग्र ऊपरी सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों के साथ—साथ कार्यपुस्तिकायें भी बांटी जा सकती हैं।

25.5 पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक लागत कक्षा के साथ घटती बढ़ती रहती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमान प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक लागत पर आधारित हो तथा

25.6 यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य पहले से ही किसी भी श्रेणी के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके नहीं प्रदान कर रहा है। ऐसे मामलों में ऐसे बच्चों को एसएसए के अधीन निःशुल्क पाठ्यपुस्तके प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

26— सिविल निर्माण कार्य

26.1 सिविल निर्माण कार्य में निम्न शामिल हैं—

क— नये स्कूल भवन,

ख— भवन विहीन स्कूलों के लिए स्कूल भवन

ग— अतिरिक्त क्लासरूम

घ— मुख्याध्यापक के लिए कमरा

ङ— शौचालय

च— पेयजल संविधाएं

छ— आत्यन्तिक मामलों में जैसेकि पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में चारदीवारी बशर्ते कि इस आशय का औचित्य प्रस्तुत किया गया हो

ज— विभाजन दीवार

झ— विद्युतीकरण

झ— बाल अनुकूल तत्व(जोकि सभी नए निर्माण कार्यो में अनिवार्य होने चाहिए)

ट— 6 लाख रूपये की इकाई लगात सहित बीआरसी

ठ— 2 लाख रूपये इकाई लागत सहित सीआरसी

ङ— एसआईईएमटी

26.2 सिविल निर्माण कार्यों में निम्न शामिल नहीं हैं

क— एमआईएस कक्ष सहित एसपीओ/डीपीओ के लिए कार्यालय भवन

ख— खेल का मैदान

ग— ईजीएस/एआईई केन्द्र

घ— ईसीसीई सुविधाएं

ङ— छात्रावास (नवाचारी योजना के अधीन आवासीय स्कूलों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में समझा जाए)

26.3 इकाई लागत, जहां कहीं एसएसए मानदण्डों में उल्लिखित नहीं है, वहां वह दरों की पीडब्ल्यूडी/राज्य अनुसूची के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि अपरम्परागत मदों के मामले में जो कि दरों की अनुसूची का हिस्सा न हों, दरें राज्य कार्यान्वयन सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित की जानी चाहिए कि इस तरह के अनुमान, दरों की अनुसूची में उपलब्ध परम्परागत मदों के माध्यम से तैयार किए गए इसी प्रकार के डिजाइन की लागत से बढ़कर नहीं होने चाहिए।

26.4 यदि इकाई लागतें असाधारण रूप से ऊंची होंगी तो राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी अनुसमर्थन समूह इकाई लागत का जायजा लेगा।

26.5 स्कूलों के नवनिर्माण के मामले में इकाई लागत में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए किचन शेड का प्रावधान शामिल होगा।

26.6 पीएबी ने पेयजल सुविधाओं और शौचालय के लिए औसतन क्रमशः रू 15,000/— तथा रू0 20,000/— तय किए हैं।

26.7 पर्यवेक्षण लागत तथा गुणवत्ता के मानीटरन के लिए खरीदा गया उपकरण, यदि कोई हो तो इकाई लागत का एक हिस्सा होना चाहिए और उसे पर्यवेक्षण सम्बन्धी खर्च के लिए जिला/राज्य स्तर पर बनाए रखा जा सकता है।

26.8 पर्यवेक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण का प्रावधान प्रबन्ध लागत के अधीन किया जाना चाहिए।

26.9 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की तलाश की जानी चाहिए और केवल अपेक्षित अन्तर का वित्तपोषण एसएसए के माध्यम से किया जाना चाहिए।

26.10 सिविल कार्यों पर कार्यक्रम निधियां 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई संदर्श योजना के आधार पर पीएबी द्वारा मंजूरी की गई समग्र परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होंगी। इसमें भवनों के रखरखाव और मरम्मत सम्बन्धी खर्च शामिल नहीं होगा। तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक कार्य योजना में सिविल कार्यों के निमित्त वार्षिक योजना व्यय के 40 प्रतिशत तक का प्रावधान रखने पर विचार किया जा सकता है जो कि उस वर्ष में कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा बशर्ते कि संदर्श योजना पीएबी द्वारा मंजूर की गई हो तथा संदर्श योजना का आकार ज्ञात हो।

26.11 किसी जिले में बीआरसी तथा सीआरसी के निर्माण की कुल लागत किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र अनुमानित व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

26.12 सिविल कार्यों के निर्माण की आवश्यकता, मौजूदा आधारिक सुविधाओं और अतिरिक्त आवश्यकता सम्बन्धी आंकड़ों से समर्थित होनी चाहिए।

26.13 सिविल कार्यों का निर्माण केवल सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों में किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में इस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.14 सिविल निर्माण कार्यों के सभी क्रियाकलापों में समुदाय की सहभागिता अनिवार्य होगी।

26.15 पीएबी के अनुमोदन से बहुमंजिले शहरी स्कूलों के निर्माण को छोड़कर ठेकेदारों की नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी।

26.16 स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षा सम्बन्धी ग्राम पंचायत समिति हिसाब–किताब रखने की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सिविल निर्माण कार्य करेगी।

26.17 एसआईईएमएटी भवन के निर्माण के लिए राज्य पीडब्ल्यूडी विनियमों अथवा शिक्षा विभाग के मामले में लागू अन्य विनियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

26.18 बीआरसी की निर्माण समुदाय अथवा पीडब्ल्यूडी जैसी राज्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

26.19 यदि किसी वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय वर्ष विशेष में पूरी तरह खर्च नहीं हो पाएगा तो परिव्यय का अव्ययित अंश शेष बच रहे क्रियाकलापों की भांति अगले वर्ष ले जाया जाएगा। तथापि यदि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के बाद परिव्यय में बचत हो जाती है तो उसका प्रयोग न तो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा न शेष बच रहे क्रियाकलापों की भांति अगले वर्ष के लिए ले जाया जाएगा।

26.20 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सभी सिविल कार्यों पर वास्तविक खर्च का समुचित लेखा रखा जाए और उसे निर्माण कार्य के अधीन दर्शाया जाए। अव्ययित निधियां लेखाओं को अन्तिम रूप देने के तत्काल बाद वापिस कर दी जानी चाहिए।

27– स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत

27.1 स्कूल समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव तथा सामुदायिक अंशदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

27.2 बड़े या छोटे मरम्मत कार्य के बीच विभेद नहीं है। मरम्मत और रखरखाव संबन्धी सभी खर्चप्रति वर्ष 5000 रूपये के भीतर किए जाने चाहिए।

27.3 5000 रूपये से अधिक लागत की मरम्मत का कार्य सदैव सामुदायिक योगदान, पंचायत निधियों राज्य सरकार निधियों जैसे अन्य निधियों से पीएमजीवाई, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम जैसी अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए हाथ में लिया जा सकता है।

27.4 तीन क्लासरूमों वाले स्कूल प्रतिवर्ष प्रति स्कूल के हिसाब से अधिक से अधिक 4000 रूपये तक के, जबकि तीन से अधिक क्लासरूमों वाले स्कूल अधिक से अधिक 7500 रूपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से रखरखाव अनुदान पाने के पात्र होंगे किन्तु शर्त यह होगी कि जिले के लिए समग्र पात्रता 5000 रूपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से होगी। इस प्रयोजन के लिए मुख्याध्यापक का कमरा तथा कार्यालय कक्ष को क्लासरूम के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।

27.5 ये प्रावधान सरकारी सहायताप्राप्त तथा अन्य निजी स्कूलों के मामले में लागू नहीं होंगे।

27.6 रखरखाव अनुदान की दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक सकूलों को अलग–अलग स्कूल समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों।

27.7 जिन मौजूदा सरकारी स्कूलों के अपने भवन हैं और जिन स्कूलों में रखरखाव तथा मरम्मत की जरूरत है, उनकी संख्या सम्बन्धी आंकड़ें प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

27.8 पैसा वीईसी के नाम जमा किया जाएगा।

27.9 छोटी–मोटी मरम्मत के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए।

27.10 स्कूल प्रबन्ध समिति/ग्राम शिक्षा समिति को, स्कूल में किए गए रखरखाव और मरम्मत के कार्य को प्रमाणित करना चाहिए।

27.11 वर्ष के अन्त में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

28– ईजीएस को नियमित स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करने अथवा एक नया प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए टीएलई

28.1 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईजीएस का नियमित स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन, ईजीएस केन्द्रों के दो वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य कर चुकने के बाद किया जाए।

28.2 यदि टीएलई नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नया स्कूल राज्य मानदण्डों के अनुसार खोला गया है। तथापि जो मौजूदा स्कूल आपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी) योजना के अधीन शामिल नहीं है उनमें टीएलई अनुमन्य नहीं है।

29– उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलई

29.1 नए उच्च प्राथमिक स्कूलों स्तरोन्नत उच्च प्राथमिक स्कूलों तथा ऐसे मौजूदा उच्च प्राथमिक स्कूलों के मामले में जो कि ओबीबी योजना के अधीन शामिल नहीं हैं, टीएलई अनुमत्य होंगे बशर्ते कि वह इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

30– स्कूल अनुदान

30.1 (i) सरकारी स्कूलों और

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों को यह अनुदान दिया जाता है वशर्तें कि

क– इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो।

ख– ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हो।

ग– अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

घ– अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए।

ड.– स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठयक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

च– ऐसे हाई/माध्यमिक स्कूल जिनमें, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 7 तक रखने वाले राज्यों में कक्षाएं 8 से शुरू होती है, अनुदान के लिए पात्र नहीं है।

30.2 स्कूलों के लिए पुस्तकालय पुस्तकें भी इस अनुदान से उपलब्ध कराई जा सकती है।

30.3 स्कूल अनुदान की दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अलग–अलग समझा जाएगा भले ही वे एक ही परिसर से काम कर रहे हों।

30.4 मौजूदा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों सम्बन्धी आंकड़ें प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

31– अध्यापक अनुदान

31.1 (i) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों, तथा

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/नगर निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों के अध्यापकों को अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि

क– इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों, की दाखिला नीति जैसी हो।

ख– ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों।

ग– अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

घ– अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए।

ड.– स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए)।

31.2 अध्यापक अनुदान ऐसे अध्यापकों को देय है जो वस्तुतः सेवारत हो।

31.3 वस्तुतः सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

32– अध्यापक प्रशिक्षण

32.1 (i) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों तथा

(ii) सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों, छावनी/नगर निगम स्कूलों, सहायताप्राप्त मदरसों के अध्यापकों को अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है बशर्ते कि

क– इन स्कूलों की दाखिला नीति राज्य में सरकारी स्कूलों की दाखिला नीति जैसी हो।

ख– ऐसे स्कूल छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हो।

ग– अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

घ– अध्यापकों का वेतन और सेवा शर्तें सरकारी स्कूल अध्यापकों जैसी होनी चाहिए।

ड.– स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जना चाहिए)।

32.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रति अध्यापक 70 रूपये प्रतिदिन की इकाई लागत और प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए दिनों की संख्या का कड़ाई से पालन किया जाता है। जहां तक संभव हो प्रशिक्षण बीआरसी/सीआरसी स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि तत्सम्बन्धी खर्च प्रति अध्यापक 70 रूपये प्रतिदिन की इकाई लागत के भीतर रहे। यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो टीए/डीए सम्बन्धी खर्च,

प्रबन्ध लागत के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का अतिक्रमण किए बिना, प्रबन्ध शीर्ष में से वहन किया जाना चाहिए।

32.3 प्रशिक्षण माड्यूल और अध्यापक मार्गदर्शिका तैयार करने की लागत प्रति अध्यापक 70 रूपये की समग्र प्रशिक्षण लागत के भीतर होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की लागत एकबारगी लागतें होती हैं। इन मदों से सम्बन्धित खर्च को ऐसे अनेक अध्यापकों के बीच बांट दिया जाए जिनके ऐसे माड्यूलों/मार्गदर्शिकाओं से लाभान्वित होने की संभावना होती है।

32.4 यदि मानदण्डों में निर्धारित अधिकतम दिनों तक प्रशिक्षण आयोजित करना संभव नहीं है तो प्रशिक्षण अवधि की सीमा घटाई जा सकती है। इस तरह का प्रशिक्षण, पृथक्कृत अथवा संस्थानगत/सीआरसी स्तर के बीच सुनियोजित अन्तरालों अथवा विशिष्ट मुद्दे सम्बन्धी कार्यशाला के माध्यम से आयोजित भी किया जा सकता है।

32.5 मौजूदा प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित तथा नव नियुक्त अध्यापकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षाण सम्बन्धी व्यय की प्रर्ति केवल वस्तुतः सेवारत अध्यापकों के मामले में की जाएगी।

32.6 डीआरजी/बीआरजी/सीआरजी कार्मिकों का प्रशिक्षण भी 20 दिन के संवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल रहता है।

33– राज्य शैक्षिक प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईएमएटी)

33.1 3 करोड़ रूपये की ऊपरी सीमा सिविल कार्य निर्माण सहित एकबारगी सहायता है।

33.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य एसआईईएमएटी खोलने पर सहमत हो गया है और उसने ऐसे संस्थान को बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

33.3 निर्माण की क्रियाविधि के बारे में राज्य को निर्णय लेना चाहिए।

34– सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण

34.1 इस तरह के प्रशिक्षण की अनुमति प्रत्येक गांव के लिए 4 सामुदायिक नेताओं के अलावा प्रत्येक स्कूल में प्रतिवर्ष 2 व्यक्तियों के लिए दी जाती है।

34.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गांवों में व्यक्तियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि और इकाई लागत मानदण्डों में निर्धारित ऊपरी सीमा से बढ़ कर न हो।

34.3 शहरी क्षेत्रों में, जहां कोई गांव नहीं होता और ऐसे राज्यों में जिनमें राजस्व गांव विशाल क्षेत्र में फैला है, सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण प्रत्येक स्कूल के लिए 3 सामुदायिक नेताओं के हिसाब से होगा।

34.4 गांवों की संख्या और प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित सामुदायिक नेताओं के वास्तविक लक्ष्य की गणना करने के लिए पात्र स्कूलों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

35— विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था

35.1 एसएसए यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे (सीडब्ल्यूएसन) को, भले ही उसकी विकलांगता की किस्म, श्रेणी और मात्रा कितनी भी हो उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। एसएसए 'किसी को भी मना न करने' की नीति अपनाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली से बाहर न रह जाए।

35.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, सूक्ष्म आयोजना और परिवारिक सर्वेक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। सीडब्ल्यूएसएन में ऐसे बच्चे शमिल हैं जोकि दृष्टि श्रवण, चलन अधिगम, प्रमस्तिष्क पक्षाघात जैसी विभिन्न समस्याओं अथवा मानसिक मन्दता से पीड़ित हों।

35.3 अभिज्ञात विकलांग बच्चों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

35.4 सर्वेक्षण के दौरान अभिज्ञात सभी विकलांग बच्चों के मामले में 1200 प्रति बच्चे के हिसाब से राशि लागू होगी।

35.5 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को नकद रूप में कोई राशि नहीं दी जाएगी। एसएसए अधिकारियों को स्कूलों, ईजीएस स्कूलों तथा एआईई केन्द्रों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1200 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के हिसाब से खर्च करने चाहिए।

35.6 आईईडी से सम्बन्धित सभी क्रियाकलाप अर्थात विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, शैक्षिक स्थानन, सहायक सामग्री और उपकरण तथा भौतिक सुलभता, विशेष उपकरण, पठन सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीक, उपचारात्मक शिक्षण, पाठचर्या अनुकूलन अथवा अनुकूलित शिक्षण कार्यनीतियों, अध्यापकों को प्रशिक्षण, संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति करके संसाधन सहयोग, स्कूलों में वास्तुशिल्पीय बाधाओं की समाप्ति, अनुसंधान, मानीटरन तथा मूल्यांकन जैसी समर्थनकारी सेवाएं प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के लिए 1200 रूपये की ऊपरी सीमा के भीतर शामिल होनी चाहिए।

35.7 जहां तक संभव हो विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को अपेक्षित समर्थनकारी सेवाओं सहित नियमित स्कूलों में डाला जाना चाहिए। यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बहुविध दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन भी करेगा। इसमें मुक्त अधिगम प्रणाली तथा मुक्त स्कूलों, गैर—औपचारिक और विकल्पिक स्कूली व्यवस्था, दूरस्थ शिक्षा और अधिगम, जहां कहीं आवश्यक हो वहां विशेष स्कूलों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, गृह आधारित पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा तथा सहकारी कार्यक्रम शामिल होंगे।

35.8 सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा की मौजूदा मुख्यधारा का अंग बनाया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो विकलांग बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। तथापि जो सीडब्लूएसएन अपनी विकलांगता के कारण नियमित स्कूलों में समाकलित नहीं किए जा सकते उन्हें विशेष स्कूलों में भेजा जा सकता है।

35.9 सहज प्रवेश के लिए स्कूलों में सभी वास्तुशिल्पीय बाधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में विकलांग–अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराने के निमित्त स्कूलों के नवाचारी डिजाइन तैयार करना भी कार्यक्रम का एक अंग होना चाहिए।

35.10 ऐसे सभी बच्चों को, जिन्हें सहायतापरक उपकरणों की जरूरत है जहां तक संभव हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थानों अथवा एनजीओ के अभिसरण से प्राप्त सहायक सामग्री और अपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि सीडब्यूएसएन को अभिसरण के जरिए सहायता सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना संभव नहीं है तो उसे एसएसए के अधीन प्रत्येक बच्चे के लिए 1200 रूपये प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध राशि में से खरीदा जाना चाहिए।

35.11 आईईटी के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रबन्ध लागत के अधीन शमिल है।

35.12 विकलांग बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

35.13 प्रति विकलांग बच्चे के मामले में खर्च की ऊपरी सीमा जिला स्तर पर लागू होगी।

36– अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और मोनीटरन

36.1 प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500 रूपये में से 100 रूपये और 1400 रूपये प्रतिवर्ष क्रमशः राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर खर्च किए जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर राज्य से स्कूल को अपने हिस्से के वितरण की बाबत राज्य निर्णय लेगा।

36.2 स्कूलों की मौजूदा संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

36.3 सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल, छावनी/नगर निगम स्कूल और राज्य मदरसा बोर्ड के साथ सम्बद्ध मदरसे इस शीर्ष के अधीन सहायता पाने के पात्र हैं।

36.4 स्कूल अनुदान के लिए सहायताप्राप्त स्कूलों की पात्रता के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए।

36.5 ईजीएस/एआईई/सेतु पाठ्क्रम के मामले में अनुसंधान अनुदान अनुमन्य नहीं है।

36.6 निधियों का प्रयोग निम्न क्रियाकलाप करने के लिए किया जाएगाः

क– प्रभावी क्षेत्र–आधारित मानीटरन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप–जिला स्तर पर संसाधन व्यक्तियों का एक पूल तैयार करना,

ख– संसाधन व्यक्तियों को मानीटरन के लिए यात्रा अनुदान और बहुत ही सन्तुलित मानदेय (राज्य विशिष्ट मानदण्ड के अनुसार)

ग– समुदाय आधारित आंकड़ों के नियमित आधार पर सृजन की व्यवस्था करना,

घ– उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना,

ड.– अनुसंधान क्रियाकलाप करना,

च– न्यून महिला साक्षरता जिलों के लिए तथा बालिकाओं, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के विशेष मानीटरन के लिए विशेष कार्यबल स्थापित करना,

छ– शिक्षा प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर व्यय करना,

झ– निर्धारण और मूल्यांकन दल तथा उनके क्षेत्रीय क्रियाकलाप,

ट– पाठचर्या नवीकरण,

ठ– संसाधन दलों के साथ प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना,

ड– कार्यान्वयन की प्रगति का संस्थानगत मानीटरन, तथा

ढ– ऐसी अन्य मदें जोकि परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जाएं।

36.7 इस हस्तक्षेपणीय उपाय में मानदण्डों में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के अलावा एमआईएस निर्माण और ईएमआईएस, डीआईएसई, कोहार्ट अध्ययन, बच्चे की स्थिति का पता रखने के क्रियाकलाप भी शमिल होंगे।

36.8 कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपायों की पारदर्शिता में सुधार लाने तथा उपलब्धियों और अधिक मुक्त मूल्यांकन प्रोत्साहित करने के लिए एसएसए में अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरन संस्थानों/एनजीओ की सहभागिता से किया जाना चाहिए।

36.9 वित्तीय मानीटरन की प्रणाली समुदाय आधारित दृष्टिकोण की रहस्यात्मकता दूर करने के लिए भी, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुमति रहती है, महत्वपूर्ण होगी। समूचे वित्तीय मानीटरन को, पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक मानीटरन की प्रणाली के भीतर काम करना होता है। सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति को समझने और उसका महत्व स्वीकार करने के प्रयोजन से लेखापरीक्षकों, सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों आदि के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं।

36.10 पात्र मौजूदा स्कूलों और खोले गए नए स्कूलों सम्बन्धी आंकडे प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

37– प्रबन्ध लागत

37.1 प्रबन्धन के लिए पद मंजूर करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए–

क– कोई भी नए स्थायी पद न बनाए जाएं

ख– नए पदों की आवश्यकता की जांच करते समय, मुख्य धारा के शिक्षा विभाग और डीपीईपी–दोनों के मौजूदा प्रशासनिक तंत्र में उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रयोग करने की व्यवहार्यता का सर्वप्रथम पता लगाया जाना चाहिए। नए पदों की भर्ती का आश्रय तभी लेना चाहिए जबकि कोई भी क्रियाकलाप ऐसे हों जिन्हें मौजूदा तंत्र के बल पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

ग– सृजित किए जाने वाले पद केवल संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाने चाहिए। इन पदों की भर्ती करके समाज अथवा राज्य सरकार पर कोई स्थायी भार नहीं डाला जाना चाहिए।

घ– प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे पदों के लिए कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

ड.– कुल प्रबन्ध लागत प्रत्येक जिले के लिए अलग–अलग और समूचे राज्य के लिए समग्र लागत के 60 प्रतिशत से कम रहनी चाहिए।

37.2 खर्च करते समय ऐसी लागतों की संधारणीयता को ध्यान में रखना चाहिए।

37.3 प्रबन्ध लागत में ये शामिल होंगेः आंकड़ों के संग्रह और ईएमआईएस कार्यचालन तथा रखरखाव पर खर्च संविदा आधार पर नियुक्त सहयोगी स्टाफ के वेतन सहित कार्यालयी खर्च, विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के अधीन विशेषज्ञों की सेवाएं लेना, एसपीओ, डीपीओ तथा एमआईएस के लिए कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जों सहित उपकरणों का प्रावधान, लेखन सामग्री, टेलीफोन , फैक्स, फोटोकापियर, उपभोज्य सामग्री, पीओएल, डाक व्यय, किराए पर वाहन लेना, कार्मिकों का टीए/डीए, आवर्ती आकस्मिक और विविध लागतें।

37.4 विशिष्ट कार्यों के निमित्त एक सीमित अवधि के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं ताकि एमआईएस, शिक्षाशास्त्र, अध्यापक प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, समुदाय अभिप्रेरण, लैंगिक संवेदीकरण, सिविल कार्य, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, वित्त प्रबन्ध अधिप्राप्ति आयोजना आदि जैसे क्षेत्रों में मुख्यधारा के शैक्षिक प्रबन्ध तंत्र में सहयोग प्रदान किया जा सके।

37.5 विशषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने से पहले जिलों/राज्यों के लिए मौजूदा क्षमता का जायजा लेना जरूरी है।

37.6 नीति के तौर पर वाहन जरूरत के अनुसार केवल भाड़े पर लिए जाने चाहिएं जब तक कि किसी विशेष क्षेत्र में वाहन खरीदने की अनुमति दे दी जाए उनमें भी ड्राइवर का कोई नया पद नहीं बनाया जाना चाहिए। वाहनों की ऐसी खरीद केवल निकम्मा घोषित किए गए वाहनों के प्रतिस्थापना के रूप में होगी तथा वाहनों की खरीद के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

37.7 राज्यों/जिलों द्वारा प्रबन्ध लागत के अधीन सूचनापत्र प्रकाशित किए जा सकते हैं।

37.8 प्रबन्ध लागत के अधीन मीडिया क्रियाकलापों का भी प्रावधान किया जा सकता है।

37.9 वित्तीय प्रबन्ध कार्मिकों सहित कार्यक्रम प्रबन्ध स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और दिशाअनुकूलन कार्यक्रम 6 प्रतिशत प्रबन्ध लागत परिव्यय के अधीन अनुमन्य होगा।

38– बालिका शिक्षा, ईसीसीई के लिए नवाचारी क्रियाकलाप तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय

38.1 बालिका शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कम्प्यूटर शिक्षा और साथ ही छात्रों और अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रत्येक नवाचारी क्रियाकलाप के लिए 15 लाख रूपये के नवाचारी अनुदान के अधीन शामिल होगा किन्तु शर्त यह होगी कि प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष अधिकतम ऊपरी सीमा 50 लाख रूपये होगी।

38.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नवाचारी क्रियाकलाप के अधीन वर्ष के दौरान प्रस्तावित विशिष्ट क्रियाकलाप जिला योजनाओं में निर्दिष्ट किए जाते हैं।

38.3 बालिका शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा के लिए नवाचारी कार्यक्रम में सामान्यतः निम्न शामिल होंगेः

क– नामांकन और बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने के अभियान।

ख– विशेष शिविर और सेतु पाठ्यक्रम।

ग– वैकल्पिक स्कूलों के विशेष माडलों की स्थापना।

घ– लड़कियों को औपचारिक शिक्षा के लिए मदरसों और मकतबों का सृदृढ़ीकरण।

ड.– नए कार्यकारी समूहों की स्थापना और मौजूदा कार्यकारी समूहों के साथ कार्य करने सहित सामुदायिक अभिप्रेरण।

च– उपस्थिति मानीटरन।

छ– उपचारात्मक/कोचिंग कक्षाएं।

ज– स्कूल के भीतर तथा बाहर एक अनुकूल वातावरण उपलबध कराना।

38.4 ईसीसीई के लिए नवाचारी कार्यक्रमों को एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अधीन पहले से उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

38.5 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना को आईसीडीएस के अधीन पहले से निर्मित सुविधाओं की सूची अवश्य तैयार करनी चाहिए। ईसीसीई के लिए पूरक सहयोग अनिवार्यतः आईसीडीएस के सहयोजन से होगा।

38.6 ईसीसीई को विशिष्ट सहयोग नवाचारी क्रियाकलाप के शीर्ष के अधीन उपलब्ध निधियों में से मौजूदा आईसीडीएस केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

38.7 जो बस्तियां आईसीडीएस में शामिल नहीं हैं और जहां कहीं राज्य सरकार औपचारिक प्राथमिक स्कूल में स्कूल–पूर्व शिक्षा केन्द्र खोलने की इच्छुक है वहां एसएसए से सहयोग नवाचारी क्रियाकलापों के शीर्ष के

अधीन उपलब्ध निधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसी बस्ती में कोई नया आईसीडीएस केन्द्र खुलने जा रहा है तो स्कूल–पूर्व सुविधा अनिवार्यतः आईसीडीएस के सहयोजन में काम करेगी।

38.8 स्कूल–पूर्व अध्यापक के लिए मानदेय, स्कूल–पूर्व शिक्षा के निमित्त आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण, क्रियाकलाप सामग्री, खेल मदों आदि के लिए व्यवस्था ईसीसीई को सहयोग के रूप में उपलबध कराई जा सकती है।

38.9 उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए कम्प्यूटर शिक्षा के निमित्त नवाचारी कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर और उसके कलपुर्जों की व्यवस्था, कम्प्यूटर शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर लेखन सामग्री सम्बन्धी खर्च शामिल होना चाहिए।

38.10 काई भी नवाचारी कार्यक्रम 15 लाख रूपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सभी क्रियाकलाप नवाचारी क्रियाकलाप के शीर्ष के अधीन आएंगे।

38.11 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानदण्डों में निर्धारित की गई ऊपरी सीमा का कडाई से पालन किया जाए।

38.12 प्रत्येक नवाचारी कार्यक्रम में प्रस्तावित क्रियाकलापों के व्यौरे एडब्ल्यूपी तथा बी में दिए जाने चाहिए।

39– ब्लॉक संसाधन केन्द्र / संकुल संसाधन केन्द्र

39.1 यदि उस जिले में जिसमें शहरी क्षेत्र शामिल है कोई सीडी ब्लाक नहीं है तो ऐसे शहरी क्षेत्र में बीआरसी नहीं खोले जा सकते।

39.2 तथापि यदि जिले के अधिकार क्षेत्र के अधीन कोई सीडी ब्लाक हैं तो जिले के भीतर शहरी क्षेत्रों में लघुकृत बीआरसी इस शर्त के साथ खोले जा सकते हैं कि जिले में बीआरसी / सीआरसी पर कुल व्यय, प्रत्येक सीडी ब्लाक के लिए एक बीआरसी की दर से बीआरसी खोलने पर जो खर्च हुआ होता उससे अधिक नहीं होगा।

39.3 शहरी क्षेत्रों में सीआरसी खोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

39.4 बीआरसी और सीआरसी के लिए फर्नीचर अनुदान एकबारगी अनुदान होता है और यदि किसी मामले में मंजूरी के एक वर्ष के भीतर अनुदान खर्च नहीं किया जाता तो उसे बाद के वर्षों में बांटा जा सकता है।

39.5 बीआरसी और सीआरसी के लिए उपकरणों, कम्प्यूटर आदि सम्बन्धी खर्च फर्नीचर अनुदान में से किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए मानदण्डों में कोई अलग प्रावधान शामिल नहीं है।

39.6 बीआरसी तथा सीआरसी में पुस्तकालय वार्षिक टीएलएम अनुदान के अधीन स्थापित किया जा सकते हैं।

39.7 जिन ब्लॉकों में 100 से अधिक स्कूल हैं, अनमें 20 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (बीआरपी) की और छोटे ब्लॉकों में बीआरसी तथा सीआरसी के लिए मिलकर 10 बीआरपी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बीआरपी को बीआरसी तथा सीआरसी में संसाधन व्यक्तियों के रूप में तैनात किया जा सकता है।

39.8 एसएसए, डीपीईपी के अधीन पहले से स्थापित बीआरसी तथा सीआरसी में बीआरपी के वेतन का खर्च वहन नहीं करेगा। उनके वेतन का खर्च राज्य सरकार द्वारा उनकी संधारणीयता योजना के अधीन वहन किया जाएगा। डीपीईपी द्वारा पहले से तैनात किए गए बीआरपी से जितने बीआरपी अधिक बैठते हैं, केवल उन्हीं के वेतन का खर्च एसएसए द्वारा वहन किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा खर्च ऊपर निर्धारित की गई ऊपरी सीमा के भीतर हो।

39.9 बीआरसी और सीआरसी में संसाधन व्यक्तियों के पद ऐसे मौजूदा वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापकों को स्थानान्तरित करके भरे जाने चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के काम के लिए रूझान का परिचय दिया हो। इस प्रकार के स्थानान्तरण के फलस्वरूप इन स्कूलों में होने वाली रिक्तियां इस सम्बन्ध में राज्य की नीति तथा एनसीटीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों अथवा उर्दू अध्यापकों द्वारा भरी जाएंगी। नए अध्यापकों अथवा उर्दू अध्यापकों के मामले में लागू न्यूनतम वेतन का खर्च एसएसए द्वारा वहन किया जाएगा।

39.10 बीआरसी/सीआरसी में नियुक्ति संसाधन व्यक्तियों के लिए कोई छुट्टी वेतन अथवा पेंशन अंशदान अनुमन्य नहीं होगा।

39.11 सीडी ब्लाक–वार, क्लस्टर–वार तथा ब्लाक–वार स्कूलों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

40– स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय

40.1 'स्कूल न जा सकने वाले बच्चों' के बीच अत्यधिक विजातीयता है। स्कूल न जा सकने वाले बच्चे दूरस्थ स्कूल–विहीन बस्तियों से सम्बद्ध बच्चे, कामकाजी बच्चे, आवारा बच्चे, शहरी मलिन बस्तियों में सुविधाविहीन बच्चे, बंधुआ बाल श्रमिक, सेक्स वर्कर्स के बच्चे, अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियां, घरेलू कामकाज अथवा छोटे भाई बहनों की देखभाल में प्रवृत्त लड़कियां, पशुओं को चराने आदि में प्रवृत्त बच्चे–इनमें से कोई भी हो सकते हैं। विजातीयता के कारण ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रणाली के भीतर लाने में राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को विशिष्ट कार्यनीतियां अपनानी चाहिए।

40.2 ईजीएस और एआईई को कार्यनीतियों की निम्न तीन प्रमुख कोटियों का समर्थन करना चाहिएः

क– स्कूल–विहीन बस्तियों (ईजीएस) में स्कूल खोलना

ख– 'स्कूल न जा सकने वाले बच्चों' को मुख्यधारा में लाने के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय जैसेकि सेतु पाठ्यक्रम, वापिस स्कूल चलो शिविर आदि (एआईई)

ग– ऐसे बच्चों के अत्यन्त विशिष्ट, दुष्कर समूहों के लिए कार्यनीतियां जो मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकते (एआईई)

40.3 ईजीएस तथा एआईई के अधीन प्रदत्त विकल्पों की श्रेणी में चार प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र हैः

क– छोटी असेवित बस्तियों के लिए पूर्णकालिक सामुदायिक स्कूल,

ख– विभिन्न अवधियों के सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को मुख्यधारा का अंग बनाना,

ग– विशेष समूहों जैसेकि बाल श्रमिकों, आवारा बच्चों, किशोर लड़कियों, कतिपय पिछड़े समुदायों से सम्बन्धित लड़कियों, प्रवासी परिवारों के बच्चों आदि के लिए विशिष्ट कार्यनीतियां,

घ– नवाचारी कार्यक्रम–नवाचार इन क्षेत्रों में हो सकते हैः शिक्षाशास्त्रीय परिपाटियां, पाठ्चर्या, कार्यक्रम प्रबन्ध, पाठ्यपुस्तकें टीएलएम आदि।

40.4 ईजीएस/एआईई केन्द्र के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र की लागत केन्द्र में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। तथापि समूचे जिले के लिए समग्र लागत प्राथमिक स्तर केन्द्रों के मामले में 1535 रूपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर केन्द्र के मामले में 2960 रूपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष तथा वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के लिए 3000 रूपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष तक सीमित रखनी होगी।

40.5 ईजीएस और एआईई योजना सम्बन्धी ब्यौरों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा' नामक पुस्तिका की सहायता ली जा सकती है।

40.6 प्राथमिक स्तर केन्द्र पर बच्चों की संख्या 40 से अधिक हो जाने पर एक अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराया जा सकता है।

40.7 ईजीएस/एआईई केन्द्र चलाने के लिए किराया दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र के लिए समुदाय/वीईसी/पंचायत को स्थान मुहैया कराना चाहिए।

40.8 ईजीएस/एआईई योजना के अधीन यह भी निर्णय लिया गया है कि एनजीओ को एसआईएस के जरिए वित्तपोषित किया जाए।

40.9 डीपीईपी में एनजीओ परियोजनाओं का योगदान दर्ज करना संभव होगा जिससे एनजीओ के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना सुकर हो सकेगा। वीईसी, पीटीए, एमटीए, एसएमसी आदि जैसे सामुदायिक संगठनों के माध्यम से एनजीओ की पर्याप्त भागीदारी की कल्पना की जा सकती है।

40.10 अल्पसंख्यकों के जो बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जिन्हें राज्य के माध्यमिक स्कूल बोर्ड/राज्य मदरसा बोर्ड का सम्बन्धन प्राप्त नहीं है, उनके लिए ऐसे मदरसों में ईजीएस केन्द्र खोले जा सकते हैं जिसके माध्यम से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें जरूरी होने पर अतिरिक्त अध्यापक तथा राज्य पाठ्यचर्या में अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस तरह के हस्तक्षेपणीय उपाय जिले की संदर्श योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना और बजट में शमिल किए जा सकते हैं।

40.11 ऐसी वीईसी/एसएमसी जोकि इसके बाद 06 वर्षों से लेकर 14 वर्ष (सितम्बर 2003 को) तक की आयु के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों को किसी स्थानीय मानयताप्राप्त स्कूल अथवा ईजीएस/एआईई केन्द्र में दाखिला करने की स्थिति में है, उन्हें दाखिल किए गए ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 50 रूपये प्रति बच्चे की दर से सामुदायिक अभिप्रेरण सहायता तथा जब ऐसा कोई बच्चा ऐसे स्कूलों अथवा ईजीएस/एआईई केन्द्र में एक पूरा शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लेता है और दूसरे ग्रेड में चला जाता है तो निम्न शर्तों के अध्यधीन मानीटरन और प्रबन्ध सहायता के रूप में 50 रूपये प्रति बच्चे की दर से अलग से उपलब्ध कराए जाएंगेः

1– इस वित्तीय सहायता पाने की हकदार केवल ऐसी वीईसी/एसएमसी होंगी जिन्होंने 30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की एक समुचित सूची बनाए रखी है जिसमें पारिवारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से इकट्ठे किए गए उनके नामों तथा उनके माता–पिता के नामों के पूरे ब्यौरे दिए गए हों।

2– वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र बनने के लिए वीईसी/एसएमसी के लिए यह जरूरी होगा कि उसने 30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार स्कूल न जा सकने वाले कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों को दाखिल किया हो।

3– सामुदायिक अभिप्रेरण सहायता केवल ऐसे बच्चों के मामले में दी जाएगी जिनके नाम उक्त सूची में शमिल हों और जो 30 सितम्बर 2003 के बाद दाखिल हुए हों।

4– वीईसी/एसएमसी ऊपर दी गई सहायता का प्रयोग गांव में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त उपायों के लिए कर सकेंगी जैसेकि सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल में सुधार और प्रबन्धन को सहायता आदि।

5– वीईसी/एसएमसी को सामुदायिक अभिप्रेरणा, मानीटरन तथा प्रबन्ध सहायता राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा प्रबन्ध लागत के लिए पीएबी द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता जोकि लागत के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी में से उपलब्ध कराई जाएगी।

41– सूक्ष्म आयोजना, परिवारिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल आधारित क्रियाकलापों आदि के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप

41.1 वास्तविक आवश्यकता पर आधारित 50 लाख रूपये तक के प्रारम्भिक क्रियाकलाप एसएसए कार्यतंत्र के पैरा 2.1 के अधीन शामिल है।

41.2 बालमेलों, जत्थों, खेलकूदों, मां बेटी सम्मेलनों आदि जैसे 1000 रूपये तक की लागत वाले स्कूल–आधारित क्रियाकलाप हाथ में लिए जा सकते हैं।

41.3 एसएसए, खेलकूद तथा त्योहारों के लिए अभिप्रेरण के निमित्त सांस्कृतिक क्रियाकलाप, वीईसी/स्कूल प्रबन्ध समितियों का गठन, पारिवारिक सर्वेक्षण तथा प्रत्येक परिवार के हिसाब से तीन रूपये तक की आवास योजनाएं तैयार करना भी इस क्रियाकलापों में शामिल किया जाना चाहिए।

41.4 इस मानदण्ड में उल्लिखित क्रियाकलाप नितान्ततः प्रारम्भिक हैं जिन्हें सामान्य वार्षिक कार्ययोजना और बजट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

42– प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)।

42.1 भारत सरकार ने प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक उपलब्ध कराने के प्रयोजन से हाल ही में एसएसए की अतिरिक्त सहायता के रूप में एनपीईजीईएल की शुरूआत की है।

42.2 यह योजना निम्न क्षेत्रों में लागू होगीः

क– शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ईबीबी) जहां ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है और लड़की–लड़के के बीच का अन्तराल राष्ट्रीय औसत से बढ़ कर है।

ख– जिलों के ऐसे ब्लाक जहां कम से कम 5 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की है तथा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है, वे भी इस कार्यक्रम के अधीन शामिल हैं।

ग– चुनिन्दा शहरी मलिन बस्तियां।

42.3 मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करते समय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक 1991 की जनगणना के आधार पर अभिज्ञात किए गए थे। तथापि राज्य, 2001 की जनगणना के प्रकाश में तथा परिभाषा का ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ब्लाकों को बदल सकते हैं।

42.4 जिन राज्यों में महिला समाख्या (एमएस) कार्यक्रम सक्रिय है, उनमें एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन के लिए एसएसए निधियां एमएस सोसायटी को अन्तरित कर देगा। एमएस सोसायटी, जहां कहीं ऐसी सोसायटी का गठन किया जा चुका है कार्यक्रम को दिशा और सहायता प्रदान करेगी। एमएस सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि सोसायटी के राज्य संसाधन समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व हो।

42.5 कार्यक्रम की कार्यनीति में निम्न शामिल हैंः

क– बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुदाय, अध्यापकों, एनजीओ आदि सहित अभिप्रेरण। यह एक प्रक्रियोन्मुखी कार्यक्रम है जिसमें समुदाय का स्वामित्व तथा घटकों की डाली अनिवार्यतः स्थानीय सहभागिता से उभरनी चाहिए।

ख– हालांकि योजना में घटकों की एक डाली की व्यवस्था की गई है फिर भी सभी ब्लाक सभी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। परियोजनाएं उस ब्लाक की परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए और उन्हें विशेष रूप से इन समूहों को लक्षित करना चाहिएः स्कूल न जा सकने वाले बच्चे, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी है, सीमान्त सामाजिक समूहों की बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनकी उपस्थिति न्यून है तथा ऐसी बालिकाएं जिनकी उपलब्धि के स्तर निम्न हैं।

ग– अध्यापन–अधिगम सामग्री, सीडी, फिल्म तथा अन्य सामग्री सहित सामग्री का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/निर्माण में सहायता, लैंगिक चिन्ताओं के समावेशन के लिए मार्गदर्शी तैयार करना, बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का निर्माण/संकलन जोकि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगी।

42.6 एनपीईजीईएल के उद्देश्य निम्नानुसार है।

क– सुलभता प्रदान करने के लिए सुविधाएं निर्मित करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा बालिकाओं का शिक्षा में बने रहना सुकर बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का शिक्षा में बने रहना सुकर बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की अपेक्षतया अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

ख– विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा बालिकाओं को सामर्थ्यवान बनाने के प्रयोजन से बालिकाओं की शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर बल देना।

42.7 जिला जेंडर यूनिटों तथा मौजूदा कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने और अभिसरण की जिम्मेदारी संकुल स्तर पर कोर समूह की होगी। वे छात्रों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों की सहायता से सर्वेक्षण करेंगे तथा ग्राम योजनाएं तैयार करने में मदद करेंगे। साथ ही वे इन योजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटरन करेंगे तथा उस पर नजर रखेंगे। गांव में सामुदायिक अभिप्रेरण, नामंकन शिक्षा बीच में छोड़ने वालों की स्थिति बालिकाओं की उपलब्धि में हुई प्रगति का जायजा लेने, के लिए मानीटरन करने, गांव में इन क्रियाकलापों के निमित्त हस्तक्षेपणीय उपाय तेयार करने, तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए वातावरण निर्मित करने में वीईसी/एमटीए/ग्राम समुदाय की सहायता करने के प्रयोजन से कोर समूह प्रमुख साधन का निर्माण करेंगे।

42.8 एनपीईजीएल का जिला कार्यान्वयन यूनिट 'बालिका शिक्षा घटक' के लिए एक अलग उपयोजना तैयार करेगा। डीपीईपी की भांति ही राज्य स्तर पर मौजूदा संसाधन समूह, इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थित सेल में भेजने से पूर्व उनकी छानबीन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की सलाह से इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। एसएसए का पीएबी इन उप–योजनाओं का अनुमोदन करेगा।

42.9 एनपीईजीईएल संकतकों का मार्गदर्शन करने और विकसित करने के लिए राज्य को जेंडर के लिए मौजूदा राज्य संसाधन समूह की स्थापना करना होगी अथवा उसका संवर्धन करना होगा (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 2003 के पत्र संख्या फा 25–1/2003 प्रा.शि. 8 के अधीन जारी किए गए एनपीईजीएल मार्ग निर्देश)

42.10 राज्य एनपीईजीईएल के लिए एक उपयोजना तैयार करेगा जोकि एसएसए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का एक अंग होगी लेकिन वह उसका एक स्वतंत्र घटक होगी।

42.11 योजना में एसएसए योजनाओं के लिए जरूरी अनिवार्य आंकड़ों के अलावा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लाक के सम्बन्ध में संकुल और ब्लाक स्तर पर ग्रामीण महिला साक्षरता और लड़के–लडकी के अन्तराल

सम्बन्धी आंकड़े भी अनिवार्यतः दिए जाने चाहिए। ईबीबी के चयन के लिए आधार अखिल भारतीय आधार पर महिला साक्षरता दर नहीं बल्कि ग्रामीण महिला साक्षरता होनी चाहिए। तथापि लड़के–लड़की के बीच का अन्तर अखिल भारतीय आधार पर पुरूष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच मौजूद अन्तराल होगा।

42.12 योजना में संकुल और ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की आबादी के प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर और साथ ही सामान्य महिला साक्षरता दर सम्बन्धी आंकड़े अवश्य उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

42.13 शहरी मलिन बस्तियों का चयन शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बड़े शहरों में अभिज्ञात शहरी मलिन बस्तियों के आधार पर होगा। छोटे मुफस्सिल क्षेत्र, जिनकी साक्षरता दरें स्थानीय ब्लाक आंकड़ों में शामिल हैं, शामिल कर लिए जाएंगे वशर्ते कि ब्लाक एनपीईजीईएल मानदण्ड के अधीन पात्र है। चयनित शहरी मलिन बस्तियों, इसमें रहने वाले लड़कों और लड़कियों–दोनों की संख्या, महिला साक्षरता, लड़के–लड़की के बीच क अन्तराल आदि सम्बन्धी आंकड़े याजना में दर्शाए जाने चाहिएं।

42.14 प्रस्तावित प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय के ब्यौरे योजना में स्पष्टतः दर्शाए जाने चाहिए

43– प्रगति सिंहावलोकनः क्योंकि एडब्ल्यूपी तथा बी प्रस्ताव एक अविच्छिन्न कार्यक्रम के अंग हैं, इसलिए वे की गई प्रगति तथा अधूरे पड़े लक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। इसलिए प्रत्येक हस्तक्षेपणीय उपाय की प्रगति सिंहावलोकन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रगति सिंहावलोकन में पिछले वर्ष में की गई प्रगति शामिल है जोकि जिले के लिए अपनी कार्यनीतियों, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने का एक साधन है। जिसके बल पर जिला आने वाले वर्ष के लिए बेहतर योजना बना सकेगा। वर्ष के अन्त में वर्ष के दौरान अव्ययित परिव्यय 'बचाया गया परिव्यय' के रूप में निकाला जाएगा और दर्शाया जाएगा।

44– शेष बच रहे क्रियाकलापः यदि किसी वर्ष विशेष में कोई अनुमोदित परिव्यय पूरी तरह खर्च नहीं किया जाता तो वह बचत किया गया परिव्यय बन जाता है। सामान्यतः अनावर्ती शीर्षों के अधीन बचाया गया परिव्यय आने वाले वर्ष के लिए शेष बच रहे क्रियाकलापों के रूप में लिया जाता है। शेष बच रहे क्रियाकलापों के कारण जिले को सिविल निर्माण कार्यों, टीएलई के एकबारगी अनुदान, बीआरसी, सीआरसी आदि के लिए फर्नीचर अनुदान जैसी अनावर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों को जोकि वर्ष के दौरान पूरे नहीं किए जा सके थे जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष एडब्ल्यूपी तथा बी के साथ–साथ शेष बच रहे क्रियाकलापों की योजना भी तैयार करनी चाहिए।

46– योजनाओं का मूल्यांकन

46.1 जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना के एक बार तैयार कर लिए जाने के बाद इसे राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाता है। इसके बाद ये जिला योजनाएं और राज्य घटक योजना राज्य कार्यान्वयन सोसायटी द्वारा मूल्यांकन के लिए ईईब्यूरो को भेजे जाते हैं। एसएसए के अधीन आयोजना और मूल्यांकन के लिए एक

व्यापक नियम पुस्तिका तैयार की गई है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ उसका आदान–प्रदान किया गया है।

46.2 प्रस्तुत नियम पुस्तिका को निम्न के साथ पढ़ा जाना चाहिएः 1– कार्यान्वयन के लिए एसएसए का कार्यतंत्र 2– एसएसए के अधीन आयोजना और मूल्यांकन के लिए नियम पुस्तिका, 3– विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए समय–समय पर निकाली गई नियम पुस्तिकाएं तथा 4– परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में समय–समय पर लिए गए नीतिगत निर्णय।

46.3 मूल्यांकन के उद्देश्य एसएसए में मूल्यांकन, योजना में प्रस्तावित हस्तक्षेपणीय उपायों, वित्तीय कार्यक्रम संबन्धी, प्रबंधकीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता की जांच और विश्लेषण करता है। यह प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक कार्यक्रम के रूप में एसएसए पर बल देते हुए तथा निम्न विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक गुणवत्तात्मक और परिमाणात्मक कार्यवाही हैः–

क– राज्य और जिला योजनाओं में एसएसए कार्यक्रम के सभी पक्षों और घटकों की गहन समीक्षा करनाः

ख– राज्य और जिला योजनाओं के बीच पारस्परिक घटाकों और शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों के बीच अंतःसंबंधों का जायजा लेने के लिए राज्य और जिला योजनाओं की समीक्षा करना

ग– तकनीकी, प्रबन्धकीय और वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से अलग–अलग घटकों का जायजा लेना।

घ– राज्य और जिला योजनाओं की शक्तियों और दुबर्लताओं का एक समग्र मूल्यांकन करना तथा

ड.– कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राज्य और जिलों की तत्परता का जायजा लेना।

46.4 मूल्यांकन मिशनः– निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों वाला एक मूल्यांकन मिशन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और जिलों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन करता है।

क– स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई)

ख– विशेष ध्यातव्य समूह (बालिकाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे आदि)

ग– गुणवत्ता विषयक मुद्दे (पाठ्यचर्या तथा टीएलएम, अध्यापक शिक्षा/प्रशिक्षण अध्यापन–अधिगम प्रक्रियाएं, अनुसंधान और मूल्यांकन आदि)

घ– अपेक्षित जानकारी/आंकड़े

ड.– सिविल निर्माण कार्य

च– प्रबन्ध और एमआईएस

छ– मानीटरन और मूल्यांकन तथा

ज– बजट और लागत निर्धारणज

46.5 मूल्यांकन मिशन में एक संयोजक होगा जोकि मूल्यांकन प्रक्रिया और रिपोर्ट तैयार करने के काम का समन्वय करेगा। यह संयोजक सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार दायित्वों का आबंटन करेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए पहल करना और उसे समय पर तैयार करने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होगी।

46.6 मूल्यांकन की प्रविधिः ईईब्यूरो शुरू में मूल्यांकन मिशन को संक्षेप में अवगत कराएगा तथा मिशन को विचारार्थ विषय उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उसके काम को सुकर बनाया जा सके। इस मौके पर यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या योजना का मूल्यांकन डेस्क पर किया जाएगा या क्षेत्र दौरा आवश्यक है। यदि क्षेत्र दौरा जरूरी है तो मिशन राज्य, कुछेक जिलों और बीआरसी, सीआरसी स्कूलों आदि जैसे अन्य उपजिला निकायों का दौरा करेगा। क्षेत्र दौरे के समय मिशन समुदाय के सदस्यों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान करेगा और उनकी समस्याओं को समझेगा। इसके बाद राज्य स्तर पर इसके निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए मिशन की एक समापन बैठक आयोजित की जाएगी। दौरे के बाद मिशन एक मूल्यांकन रिपोर्ट करेगा तथा उसे ईई ब्यूरो को भेजेगा।

46.7 मूल्यांकन मिशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकारें, प्रारम्भिक शिक्षा में उसी स्तर का निवेश बनाए रखेंगी जैसाकि 1999–2000 में था। एसएसए के लिए राज्यों का योगदान इस सीमा से बढ़कर होगा।

46.8 जबकि शुरू के वर्षो में भारत सरकार द्वारा गठित मिशन द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ऐसी आशा की जाती है कि एक बार समुचित क्षमता का निर्माण कर लिए जाने के बाद यह कार्यवाई राज्य स्तर पर की जा सकेगी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक यादृच्छिक नमूना मूल्यांकन किया जाएगा।

47– परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजनाओं का अनुमोदन

47.1 मूल्यांकन मिशन द्वारा जिन योजनाओं का उनकी लागत निर्धारण सहित इस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा उनकी समीक्षा की जाएगी। इस परियोजना अनुमोदन बोर्ड का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रारम्भिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा जिसके सदस्यों में ये लोग शमिल होंगेः योजना आयोग एकीकृत वित्त प्रभाग, श्रम मंत्रालय, एनसीईआरटी, नीपा, एनसीटीई के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव (ईई), ईई ब्यूरो के निदेशक/उपसचिव, राज्यों के प्रतिनिधि, मूल्यांकन मिशन के सदस्य आदि। योजनाओं पर विचार करते समय पीएबी, एसएसए के कार्यतंत्र में परिकल्पित वित्तीय मानदंडों का अनुपालन, एसएसए कार्यक्रम के समग्र उद्देश्यों के प्रति संगति, प्रस्तावित हस्तक्षेपणीय उपायों की लागत प्रभाविता का अनुपालन सुनिश्चित करता है जिसमें सिविल निर्माण कार्यों, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, मानीटरन के लिए सुस्थापित मानकों का अनुपालन और साथ ही विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपायों और नवाचारों को सहयोग देने और उनकी देखभाल करने के लिए निर्मित क्षमताएं शामिल हैं। समीक्षा के आधार पर पीएबी संशोधनों सहित या उनके बिना योजना मंजूर करने का निर्णय लेगा तथा विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए वार्षिक बजट परिव्यय की मात्रा तय करेगा।

48— बजट कैलेंडर

48.1 वार्षिक कार्ययोजना और बजट तैयार करने के लिए निम्न समय—सूची का पालन किया जाना चाहिएः—

क	परिकल्पना प्रक्रिया तथा क्रियाकलापों की योजना और जिला स्तर पर निधियों की आवश्यकता	1 जनवरी
ख	राज्य और जिले के लिए सहभागितापूर्ण आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से एडब्ल्यूपीतथाबी का निर्माण तथा विकास	10 जनवरी
ग	जिला योजनाओं का राज्य परियोजना कार्यालय को अंतरण	1 फरवरी
घ	राज्य सरकार के साथ परामर्श और राज्य सरकार के विचार प्राप्त करना	15 फरवरी
ड.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के आधार पर जिला योजनाओं का संशोधन यदि कोई हो तो	28 फरवरी
च	एडब्ल्यूपीतथाबी को अंतिम रूप देना और राज्य सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा उसका अनुमोदन	5 मार्च
छ	इई ब्यूरो को योजनाओं का अंतरण	15 मार्च
ज	मूल्यांकन मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का मूल्यांकन	1 अप्रैल
झ	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजनाओं की मंजूरी	15 अप्रैल
ज	पीएबी के कार्यवृत्त का राज्य/जिले में परिचालन	25 अप्रैल